प्रकरण संख्या 27/2021 शान्तिलाल बनाम दिवाकर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 शामलाती आराजियात राजस्व ग्राम अनूपपुरा में आराजी नंबर 52/1 रकबा 52 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 280/1059 हिस्सा अर्थात 14 बीघा है। उक्त भूमि मौके पर बटी होकर पक्षकारान उसी अनुसार काबिज है, परन्तु विधिवत विभाजन नहीं होने से भूमि सुधार एवं ऋण आदि में असुविधा होती है। अतः विवादित भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी का का 280/1059 हिस्सा अर्थात 14 बीघा स्वतंत्र रूप से दर्ज किया जावे। अधिनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 07.08.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 17.08.2020 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03.11.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से पैराकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2020 की जानकारी उन्हें दिनांक 08.10.2021 को तब हुई जब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अपने तीन–चार साथियों के साथ मौके पर कब्जा करने आये। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया। हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारण एवं प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने [illegible] में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते [illegible] ने अपने वाद में कथन किया है कि मौके पर [illegible] बटी हुई है केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में [illegible] इन्द्राज है। ऐसी स्थिति में स्वयं वादी/रेस्पोन्डेन्ट के कथनानुसार भूमि का आपसी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन पूर्व में हो चुका है तो एसी स्थिति में तहसीलदार का दायित्व था कि मौके पर पूर्ववर्ती कब्जे अनुसार मौका रिपोर्ट बनाकर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करते, लेकिन तहसीलदार ने जानबूझकर जानबूझकर कीमती भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को दे दी है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने सही मानकर निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम निरस्त फरमायी जावे

विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने वाद में अंकित किया है कि मौके पर आराजी बटी हुई है एवं इसी अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जावे। किन्तु अपीलान्ट का कथन है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर पक्षकारान के कब्जे को ध्यान में नहीं रखा गया है तथा तहसीलदार द्वारा अपनी मनमर्जी ने वादी को कीमती भूमि देकर बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। हमने उक्त फर्द बंटवारे का अवलोकन किया तो पाया कि फर्द बंटवारे पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि विधि अनुसार फर्द बंटवारा सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिकी प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 121/2019 में पारित निर्णय डिकी अंतिम दिनांक 17.08.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय यदि उक्त फर्द बंटवारे पर किसी पक्षकार को कोई आपत्ति है तो उसका निराकरण करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित कर अंतिम डिकी जारी करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.04.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर